न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या – 10,गाजियाबाद।

पीठासीन अधिकारी– इन्दु दिवेद्वी, उच्चतर न्यायिक सेवा।

JO Code– UP 05948

CNR No.UPGZ0 1020548/2022

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–584/2022

प्रार्थना पत्र सं०–584/2022

सरकार बनाम जाहिद उर्फ मोटा

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा 14 (1) असमाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय अपर जिला अधिकारी,गाजियाबाद मेरठ मण्डल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 584/2022 जाहिद उर्फ मोटा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांकित 12–09–2022 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता के आदेश वाद को निरस्त किया गया है।

प्रार्थना पत्र में कथन किये गये है कि माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–09–2022 विधि विरूद्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत होने के कारण सरसरे तौर पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है जो पोषणीय न होने के कारण खण्डित होने योग्य है। विचारण अवर न्यायालय द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी निरीक्षक थाना मोदीनगर व संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी से जो राय/आख्या दिनांक 01–09–2022 को प्राप्त की है वह आख्या प्राप्त कर जो त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 12–09–2022 पारित किया गया है वह विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों/विधि व्यवस्थाओं के विरूद्ध किया गया है जो पोषणीय न होने के कारण खण्डित होने योग्य है। विचारण अवर न्यायालय ने जो प्रार्थिनी के विरूद्ध जो उत्पीउनात्मक (वाहन जप्ती) कार्यवाही अमल में लायी गयी है वह गैर कानूनी रूप से लायी गई है। जो किसी भी दशा में पोषणीय नहीं है। प्रार्थिनी ने दिनांक 05–02–2020 को प्रश्नगत वाहन क्रय करने के बाद प्रश्नगत वाहन की एकमात्र काबिज व मालिक है जबकि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29–06–2022 में अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों से प्राप्त गलत रिपोर्ट के आधार पर जाहिद उर्फ मोटा पुत्र मंगलू निवासी गली नम्बर–4 गोल गेट आर्दश नगर मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद के वाहन सं०– यू०पी०–14 ई०जे०–8638 (8838) को जप्त किये जाने के आदेश निगृत किये थे। यहां यह उल्लेख करना भी अति आवश्यक है कि जाहिद उर्फ मोटा उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी नहीं है। इस कारण से आलोचित आदेश दिनांक इस कारण से आलोचित आदेश दिनांक खण्डित होने योग्य है। आलोचित आदेश दिनांक 12.09.2022 अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित करते समय प्रार्थनी द्वारा उनके प्रश्नगत वाहन सं० यू.पी. 14 ई.जे– 8638 को रिलीज हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र व उसके साथ सलंग्न

किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों का गुण दोष के आधार पर तो विश्लेषण किया गया है और न ही उनका प्रथम दृष्टया अवलोकन किया गया है बिना अवलोकन व बिना विश्लेषण दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जो किसी भी दशा में पोषणीय न होने के कारण खण्डित होने योग्य है। यह कि प्रार्थनी के पति जाहिद उर्फ मोटा पर गैंगस्टर चार्ट में तीन अपराधिक मुकदमें लगाये गये है जिनमें 1 मु०अ०स०– 166/2019, अं० धारा 482,414,411 भां०दं०सं० लोनी, गाजियाबाद, 2. मु०अ०सं०– 3231/2019, अं० धारा– 379,411 भां०दं०सं० थाना ईस्ट दिल्ली के सक्षम न्यायालयो द्वारा निस्तारित करते हुए अन्तिम रूप से निर्णीत कर दिये गये है जिनके द्वारा जाहिद को आरोप मुक्त कर दिया गया है। मात्र एक मुकदमा मु०अ०सं० 160/2019, अं० धारा 3794/414 भां०दं०सं० थाना लोनी गाजियाबाद प्रगतिशील न होने के कारण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है उसकी भी छूटने की पूर्ण आशा व सफलता है। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को प्रार्थनी ने विचारण न्यायालय के संज्ञान में लाने हेतु सक्षम न्यायालयों की प्रतिलिपियां दाखिल की थी। बावजूद इसके माननीय विचारण अवर न्यायालय में अपने आलोचित आदेश दिनांक 12.09.2022 में गैंगस्टर चार्ट में उल्लेखित मुकदमो को विचाराधीन न्यायालय बताकर/लिखकर आलोचित आदेश पारित करना स्पष्ट करता है कि अवर व्यायालय ने आदेश पारित करते समय प्रार्थनी द्वारा दाखिल किये गये साक्ष्यो पर न तो कोई ध्यान दिया है और न ही अवलोकन किया है। जिस कारण माननीय अवर ज्यायालय द्वारा पारित आलोचित आदेश दिनांक 12.09.2022 खण्डित होने योग्य है। यह कि प्रार्थनी के बेटे नाजिम व उसके पति जाहिद उर्फ मोटा को दिनांक 24.01.2019 को जब वह अपने खेतो में काम कर रहे थे तब गिरफ्तार कर यह तीनो अभियोग झूठे प्रार्थनी के पति पर लगाये थे तथा बेटे को 6 दिन बाद छोड़ा था इस तथ्य के भी साक्ष्य विचारण न्यायालय में दाखिल किये थे उनका भी विश्लेषण किये बिना सरसरे तौर पर आलोचित आदेश दिनांक 12.09.2022 पारित किया है जो पोषणीय व होने के कारण खण्डित होने योग्य है। यह कि प्रार्थनी ने विचारण न्यायालय में वाहन सं0– यूपी 14. जे– 8638 चैसिस नं. एम. ए. टी. ए. एस. जे. एक्स. एल. 2019500. इंजन एस. जे. एल. 4ए, 11995 को रिलीज कराने के सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें प्रार्थनी ने अपने वाहन खरीदने हेतु समुचित धनराशि का सविस्तार विवरण व उससे सम्बंधित दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दाखिल किये थे जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और सरसरे तौर पर आलोचित आदेश पारित कर दिया। इसलिये उक्त आदेश पोषणीय न होने के कारण खण्डित होने योग्य है। यह कि प्रार्थनी ने दिनांक 05.02.2020 में जो प्रश्नगत वाहन खरीदा है वह महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फाइनेन्सर सर्विस लि० 10.50,000/– रूपये का लोन लेकर तथा उससे पूर्व दिनांक 05.12.2019 को हाउसिंग लोन हिन्दूजा हाउसिंग फाईनस से 25 लाख रूपये का लोन लिया था। जिसमें से कुछ पैसा मकान की मरम्मत व साज सज्जा में लगाया था उससे बाकी बच्चा पैसा डाउन पेमेन्ट के रूप में देकर उक्त वाहन खरीदा था तथा बाकी बचे पैसे को महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फाइनन्स से लोन लेकर अदा किया था उससे सम्बन्धित सभी दस्तावेज प्रार्थनी ने अपने

गाड़ी रिलीज प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न किये थे तथा अपने विद्ववान अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के संज्ञान में लायें गये थे प्रार्थनी गाड़ी की किस्त अपने बेटे नाजिम के सहयोग से अभी भी जमा करती आ रही है। परन्तु विचारण न्यायालय ने आलोचित आदेश पारित करते समय प्रार्थनी के किसी भी बिन्दु पर विश्लेषनात्मक राय प्रस्तुत किये बिना आलोचित आदेश दिनांक 12.09.2022 पारित कर दिया है जो पोषणीय ना होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थनी ने अपनी नेक कमाई से प्रश्नगत वाहन खरीदा था तथा अपने बेटे के सहयोग से उसकी लोन की किस्त निर्वाध्य रूप से जमा कर रही है वाहन के थाना लोनी पर खड़े रहने पर क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण सम्भावना है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में भविष्य में पूर्ण नही होगी। प्रार्थनी का परिवार किसी भी प्रकार से गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त नही रहा है और ना है। यह कि प्रार्थनी के पति जाहिद उर्फ मोटा के विरुद्ध लगाये गये तीनो अपराधिक मुकदमें जिनमें से वह दो में बाईज्जत निर्दोष साबित हो चुके है प्रार्थनी के पति व प्रार्थनी के विरुद्ध उत्पीडनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिमत/ निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि जाहिद उर्फ मोटा ने गैरकानूनी गतिविधियों की संलिप्तता से अवैध धन वसूला है या कमाया है और गैर कानूनी कमाई से प्रश्नगत वाहन खरीदा है और ना ही इस तथ्य का विचारण न्यायालय केअधिनस्थ कार्यरत कर्मचारी/ अधिकारियों द्वारा उनको अपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट है कि जाहिद उर्फ मोटा ने अवध धन गैरकानूनी क्रियाकलापों से वसूला था और ना ही प्रार्थनी के प्रति के विरुद्ध ऐसी किसी प्रकार को कोई शिकायत किसी भी स्तर पर किसी के द्वारा पंजीकृत करायी गयी है। इन तथ्यात्मक बिन्दु पर ध्यान दिये बिना उक्त आलोचित आहेश दिनांक 12.09.2022 पारित किया गया है जो पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थनी की गाड़ी की बाबत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने यह रिपोर्ट/आख्या विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नही की है कि प्रार्थनी उसके पति ने गैर सामाजिक/असामाजिक क्रिया कलापों में संलिप्त होकर अर्जित किये गये धन से उक्त गाडी को खरीदा है। यह कि उक्त वाद को सुस्थापित सिद्धान्तो के अनुसार माननीय विचारण न्यायालय को सुनने व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं था लेकिन फिर भी माननीय विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए उक्त आलोचनात्मक आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी है। यह कि अवर विचारण न्यायालय में दोनों शक्तिया निहित है वह सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि भी है तथा नियम के जप्ती की कार्यवाही भी उन्हीं में निहित है तथा जप्त की गयी सामग्री को अवमुक्त करने की शक्तिया भी उसी व्यक्ति/अधिकारी में निहित है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसार, जिस व्यक्ति ने जप्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी है उसी व्यक्ति से न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक क्षेत्राधिकार में कार्य करते हुए अपने द्वारा पूर्व में अमल में लायी कार्यवाही को गुण–दोष के आधार पर निक्षेपित कराया जाना असम्भव है। इसलिये माननीय उच्च एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार यह सुस्पष्ट एवं मुख्यापित सिद्धान्त व्याखित किया गया है कि जिस व्यक्ति/अधिकारी द्वारा दोषारोपण की कार्यवाही की गयी हैं उससे उच्च अधिकारियो द्वारा उस प्रकरण में श्रवण का अधिकार दिया गया

पद के है इस सिद्धान्तो के अतिरिक्त माननीय अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनी के रिलीज प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया गया है। बल्कि सरसरे तौर पर आलोचित आदेश दिनांक 12.09.2022 पारित कर दिया गया है। जो आदेश पोषणीय न होने के कारण खण्डित होने योग्य है। यह कि प्रार्थनी के पति पर जो भी मुकदमें आज तक लगे है वह प्रार्थनी के बेटे के साले द्वारा ससुराल पक्ष की तरफ से रंजिशन लगवाये हुए है जिसकी शिकायत पूर्व में प्रार्थिनी एवं उसके बेटे ने आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ से की थी. जिसकी छाया प्रति भी प्रार्थिनी ने अपने वाहन रिलीज प्रा साथ सलंग्न की थी जिसे अनदेखा कर माननीय अवर द्वारा आलोचित आदेश दिनांक 12.09.2022 को पारित कर दिया गया है जो पोषणीय न होने के कारण खण्डित होने योग्य है। यह कि प्रार्थनी द्वारा अवर न्यायालय में दाखिल वाहन रिलीज के प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल सभी दस्तावेजो व साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी के उपरोक्त वाहन सं० यू.पी 14 ई.जे– 8638 को प्रार्थनी के हक में रिलीज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी प्रार्थना है कि प्रार्थनी की प्रार्थना को स्वीकार की जाकर माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 को निरस्त करते हुए प्रार्थनी के वाहन सं० यू.पी.14 ई. जे– 8638 को प्रार्थनी के पक्ष में रिलीज किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

मैने प्रार्थिनी एवं विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रार्थिनी का कथन है कि अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित 12–09–2022 विधि विरूद्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत है। बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना पारित किया गया है। जप्ती कार्यवाही गैर कानूनी है। प्रश्नगत वाहन की एकमात्र स्वामिनी प्रार्थिनी है गलत रिपोर्ट के आधार पर वाहन जप्त किया गया है। अवर न्यायालय को गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधनियम के अन्तर्गत इस प्रकार का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थिनी ने प्रश्नगत वाहन के स्वामित्व एवं उसके क्रय विक्रय में जो सम्पत्ति लगी उसका पूर्ण विवरण दिया है लेकिन प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में उन प्रपत्रों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर दिया है। वाहन के थाने पर खडे रहने से उसके क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। अतः वाहन को उसके पक्ष में र्निमुक्त होना आवश्यक है। प्रश्नगत आदेश निरस्त करके वाहन को उसके पक्ष में र्निमुक्त किया जाये।

विशेष शासकीय अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि प्रश्नगत वाहन अपराध करके अर्जित की गई सम्पत्ति से क्रय किया गया है। अतः वह पूर्णतः नियमानुसार कुर्क किया गया है। पारित आदेश विधि अनुकूल है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी का वाहन सं०– यू०पी०–14 PJ– 8838 को अपर जिला अधिकारी प्रशासन के द्वारा पुलिस विभाग की आख्या के पश्चात जप्त किये

जाने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना पत्र अ० धारा –17(D) गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थिनी के द्वारा दिया गया जिस पर सुनवायी करने के उपरान्त न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन के द्वारा दिनांक 12–09–2022 को प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध पुनः एक प्रार्थना पत्र मामले का पुर्न विलोकन करने हेतु दिनांक 22–09–2022 को प्रार्थिनी के द्वारा दिया गया जिसे न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके उपरान्त इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत वाहन को रिलीज करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी के द्वारा निम्न विधियां प्रस्तुत की गई हैः–

1– राजवीर सिंह त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2018(105)ACC 868.

2– अबरार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022(118) ACC 724.

इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी की ओर से अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आपत्ति उठायी गई है और यह कहा गया कि अवर न्यायालय को यह आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। क्योंकि गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में कुर्की का आदेश जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही पारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में राज्य की ओर से यह कहा गया है कि दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट भी आते हैं एवं गिरोहबंद अधिनियम के नियम के द्वारा है, अन्तर्गत भी जिला मजिस्ट्रेट अपने प्रपत्र देखने की शक्ति को अपर जिला मजिस्ट्रेट को देखने के लिए अंतरित कर सकता है इसमें कोई अनियमित्तता नहीं है। अतः प्रश्नगत आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। दाण्डिक प्रक्रिया की धारा –20 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्ति है जितने वह उचित समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। गिरोहबंद नियमावाली के नियम 41 में जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति किसी राजपत्रित अधिकारी के के दस्तावेजो के परीक्षण करने के लिए अभिहित कर सकता है.

उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से विदित होता है कि अपर जिला अधिकारी भी जिला अधिकारी के श्रेणी के अन्तर्गत है एवं गिरोहबंद अधिनियम नियमावली के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति को सह कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है अतः इसमें क्षेत्राधिकार सम्बन्ध में कोई त्रुटि नहीं है।

प्रार्थिनी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवर न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि आदेश दिनांकित 12–09–2022 त्रुटिपूर्ण है । इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी के पति अभियुक्त जाहिद उर्फ मोटा के विरूद्ध धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई तत्पश्चात उसके खिलाफ

धारा–14 गैगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। इसमें पुलिस को अभियुक्त जाहिद उर्फ मोटा पुत्र मंगलू की पत्नी श्रीमती शहजान बेगम के नाम पर एक स्कारपियों गाडी नम्बर– यू०पी०–14–PJ–8838 के विरूद्ध कार्यवाही की गई । पुलिस विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या प्रेषित की गई जिस पर संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन के द्वारा दिनांक 29–06–2022 को प्रश्नगत वाहन कुर्की का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थिनी शहजान बेगम जिसने कि प्रश्नगत वाहन को र्निमुक्त करने हेतु एक प्राथना पत्र अ० धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम में दिया गया है। यधपि इस सम्बन्ध में गिरोहबंद अधिनियम के अवलोकन से विदित होता है कि इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अ० धारा 15(1) के अन्तर्गत दिया जाना चाहिए था। प्रार्थना पत्र गलत प्रावधान में दिया गया है। अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिनी के द्वारा वाहन क्रय करने के स्रोत के सम्बन्ध में कथन किया गया है एवं इस सम्बन्ध में साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थिनी का कथन है कि उसने अपने बेटे की सहायता से उक्त वाहन को क्रय किया है। वाहन लोन पर है जिसकी किश्त अदा की जा रही है। प्रार्थिनी का बेटा नाजिम का मांज ट्रेडर्स विश्मिल्ला मस्जिद मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद में कपडे का कारोबार करता है तथा जिसका आयकर दाता भी है और उसकी सहायता से उसने वाहन को क्रय किया। जो प्रपत्र अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। उसमें वाहन क्रय करने एवं उसके लोन के सम्बन्धी प्रपत्र है जिससे विदित होता है कि वाहन को हिन्दूजा हाउसिंग फाईनैन्स से लोन कराया गया है जिसकी किश्त सन 2030 तक जानी है। इसके अतिरिक्त शहजान बेगम को स्टेटमैन्ट आफ एकाउण्ट इण्डियन बैंक का प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उसके खाते में आये धन का विवरण है। मांज ट्रेडर्स के जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन प्रपत्र, इंकम टैक्स के प्रपत्र भी प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थिनी के द्वारा अपने पति अभियुक्त जाहिद उर्फ मोटा के सम्बन्ध में ई०एफ०आई०आर० सं०–3231/2019 में कथित फाईनल रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है एवं न्यायालय के आदेश दिनांकित 10–11–2021 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत हुई है जिसमें उक्त अन्तिम आख्या को स्वीकार कर लिया गया है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–1, गाजियाबाद के आदेश दिनांकित 21–02–2015 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०–166/2018 अ० धारा 411 भां०द०सं० में अभियुक्त का धारा 167 में रिमाण्ड निरस्त किया गया है।

प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त अवर न्यायालय के द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना मोदीनगर व संयुक्त निदेशक अभियोजन से आख्या प्राप्त की गई जिन्होंने न्यायालय के समक्ष अपनी आख्या प्रस्तुत प्रस्तुत की और अपनी आख्या में यह लिखा कि अभियुक्त द्वारा मोटर साईकिल यू०पी०–14 EJ–8638 लोन से क्रय किये जाने का रजिस्ट्रेशन व जी०एस०टी० सम्बन्धी कथन परीक्षण का विषय है। उक्त आख्या प्राप्त होने के बाद अवर न्यायालय के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया।

गिरोहबंद अधिनियम की धारा–16 में यह प्राविधानित है कि जंहा पर इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन दिया गया है वहां पर न्यायालय सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में जांच करेगा । अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी के द्वारा कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिनके बारे में इस न्यायालय के समक्ष भी कथन किया गया। अभियोजन के अनुसार गैगस्टर चार्ट में अभियुक्त पर तीन मुकदमें दिखाये गये है एवं उसके आपराधिक इतिहास में चार मुकदमें दर्शित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुकदमे अपराध सं०–3231/2019 के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट आ जाने का कथन किया है। मु०अ०सं० 166/2019 में धारा 411 भां०दं०सं० का धारा 167 द०प्र०सं० का वारण्ट निरस्त होने का आदेश प्रस्तुत हुआ है, मात्र एक मुकदमा शेष है। जो कि मुकदमा अपराध सं०–166/2019 अ० धारा 379/411 भां०दं०सं० का है। प्रार्थिनी के द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष लोन के कागजात व पुत्र नाजिम के प्रतिष्ठान मांज ट्रेडर्स के कागजात प्रस्तुत किये गये थे जिनके सम्बन्ध में मात्र अभियोजन की ओर से इतना कहा कि लोन एवं जी०एस०टी० सम्बन्धी कथन परीक्षण का विषय है अवर न्यायालय के द्वारा इसके प्राप्त होने के पश्चात उन प्रपत्रों का कोई परीक्षण किया या कराया गया। इसका कोई उल्लेख प्रश्नगत आदेश में नहीं है। गिरोहबंद अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति कुर्क हो जाने के पश्चात यह भार अभियुक्त पर है कि वह सिद्व करे कि उसने सम्पत्ति का अर्जन किस प्रकार की आय से किया है। प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में प्रार्थिनी के द्वारा लोन के पेपर प्रस्तुत किये गये है और अपने पुत्र नाजिम की कम्पनी का उल्लेख किया गया है जिसके जी०एस०टी० व आयकर के प्रपत्र भी प्रस्तुत हुए है। प्रार्थिनी के द्वारा अपने बैंक के स्टेटमैन्ट भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें धनराशि जमा होने व निकालने का उल्लेख है। प्रार्थिनी के द्वारा अपनी आय का स्रोत उल्लेखित कर दिये जाने के पश्चात यह भार अभियोजन का था कि वह इस स्रोत की जांच करके पता लगाता कि यह आय प्रश्नगत सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। लेकिन अभियोजन के द्वारा इसे परीक्षण का विषय बताकर छोड दिया गया। जबकि यह दायित्व अभियोजन का था। अवर न्यायालय के द्वारा भी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया और सरसरी तौर पर यह लिखते हुए अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने चोरी करके उक्त सम्पत्ति खरीदी गई थी व उसकी आय का स्रोत का कोई प्रमाण दाखिल नही है, के आधार पर आदेश पारित कर दिया गया न तो अभियोजन की आख्या में इस प्रकार का कोई कथन आया कि अभियुक्त ने कथित अपराध से कितनी धनराशि अर्जित की और न ही अवर न्यायालय के द्वारा इसका कोई उल्लेख किया गया। प्रार्थिनी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया ,वे किस प्रकार से आय का स्पष्ट प्रमाण नहीं था। इसका भी कोई कारण अवर न्यायालय ने अपने आदेश में नहीं लिखा है। सम्पत्ति का अधिग्रहण करते समय व इसके पश्चात भी गिरोहबंद नियमावली के नियम 36 का अनुपालन सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया।

यह तथ्य र्निविवाद है कि प्रश्नगत वाहन अभियुक्त जाहिद उर्फ मोटा की पत्नी शहजान बेगम के नाम पर है यह वाहन प्रार्थिनी के अनुसार शहजान बेगम के द्वारा क्रय किया गया अथवा नहीं। उस आय के स्रोत से खरीदा गया जिसका प्रमाण उसने अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

किया अथवा नहीं। अवर न्यायालय के द्वारा इन आय के प्रमाणो पर कोई भी मत व्यक्त नहीं किया गया है। आय के प्रमाण अस्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई भी कारण नहीं दिया गया है। आदेश मात्र अभियोजन अधिकारी की आख्या पर आधारित है जो कि कारण विहीन व सरसरी रूप से पारित किया गया है अतः यह न्यायालय पाती है कि प्रार्थिनी ने अपने साक्ष्य से यह सिद्व किया है कि प्रश्नगत वाहन उसने अपने पुत्र की आय से व लोन के द्वारा क्रय किया गया है अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश उपरोक्त विवेचन के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 584/2022 स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12–09–2022 निरस्त किया जाता है। तलबशुदा पत्रावली इस आदेश के साथ वापिस किया जाये। शेष पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(इन्दु द्विवेदी)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
कोर्ट संख्या–10, गाजियाबाद ।